08/08/2012 को आयोजित ग्रामीण विकास मंत्रालय की पेयजल तथा स्वच्छता विषय पर परामर्शदात्री समिति की बैठक का कार्यवृत्त

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय पर परामर्शदात्री समिति की मीटिंग दिनांक 8 अगस्त, 2012 को सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता माननीय ग्रामीण विकास तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री जयराम रमेश द्वारा की गई एवं माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन " आदित्य " भी उक्त बैठक में शामिल हुए। उक्त बैठक में संबंधित मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी शामिल हुए और पेयजल और स्वच्छता से संबंधित जानकारियां माननीय सांसदों को दीं। उक्त समिति के सदस्यों (संसद सदस्य) जिनमें सुश्री अन्नू टंडन, श्री भूपेन्द्र सिंह, सरदारनी हरसिमरत कौर बादल, श्री कमल किशोर, श्री माणिक राव गावित, श्री नारायण सिंह अमलाबे, डॉ0 रामशंकर, श्री संजय धोत्रे एवं डॉ0 विजयलक्ष्मी साधो शामिल थे, ने बैठक में भाग लिया तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अपने संसदीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, गंदे पानी की निकासी, पेयजल संयंत्रों की देखभाल, एमपीलैड के उपयोग, हैंडपम्प लगाने, शौचालयों के निर्माण एवं योजनाओं पर होने वाले खर्च की मॉनिटरिंग करने से संबंधित अपने संसदीय क्षेत्रों की समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने विचार व्यक्त किये जो निम्न प्रकार हैः–

माननीय मंत्री जी ने सभी माननीय सांसदों का स्वागत करते हुए उक्त बैठक की शुरूआत करते हुए, निर्मल भारत अभियान के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने एवं शौचालयों के निर्माण के संबंध में मंत्रालय द्वारा किये जा रहे प्रयासों के बारे में माननीय सांसदों को जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में विशेषज्ञों की जांच के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक, यूरेनियम, फ्लोराइड की समस्या है जिस पर मंत्रालय काम कर रहा है। शुरू के मानकों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल

हेतु 40 लीटर पानी का मानक विभाग द्वारा तैयार किया गया है जिसको अगले पॉच सालों में 12वीं पंचवर्षीय योजना में 55 लीटर किए जाने का प्रावधान है एवं पशुओं के लिए अलग से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हैंडपम्पों की ज्यादा मॉग होती है और योजना के तहत केंद्र सरकार जो पैसा राज्य सरकारों को देती है उसमें से ज्यादातर पैसा हैण्डपम्पों को लगाने में ही खर्च किया जाता है परन्तु पेयजल की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता जबकि हैंडपम्पों की बजाए पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति ज्यादा प्रभावी है।

उन्होंने मंत्रालय को हाइड्रोजियोमोरफोलोजिकल (एच0जी0एम0) नक्शों की सोफ्ट कापियां कमेटी के माननीय सदस्यों को प्रेषित करने के लिए निर्देश दिये । **श्रीमती अन्नू टंडन** जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लेदर फैक्ट्री होने के कारण वहां का जल प्रदूषित हो गया है। जिले में हैण्डपम्प तो लगाए जाते हैं परन्तु उनकी गुणवत्ता पर कोई खर्च नहीं होता है।

डॉ0 रामशंकर जी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के आसपास पेयजल की बहुत समस्या है एवं उन्होंने हैण्डपम्प लगाने की मांग की है । उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, एटा में भूजल में खारे पानी और फ्लोराइड की बहुत समस्या है।
उन्होंने कहा कि धनराशि की उपयोगिता को सशक्त करने की निगरानी रखी जाए । निर्मल भारत अभियान के तहत माननीय मंत्री जी ने स्वच्छता के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 2 लाख 40 हजार ग्राम पंचायतों में से 28000 ग्राम पंचायतों को पिछले 7–8 वर्षों में निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया है। ग्रामों की सबसे बड़ी समस्या खुले में शौच करने की प्रथा है । जिन ग्रामों को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है उनमें से भी ज्यादातर 2–3 वर्ष बाद निर्मल ग्राम नहीं रह जाते। हमारे देश में सिक्किम पहला पूर्ण निर्मल राज्य बन गया है एवं केरल दूसरा बन जाएगा। मार्च–अप्रैल, 2013 तक हिमाचल प्रदेश निर्मल राज्य बन जाएगा एवं उम्मीद है कि मार्च 2014 तक हरियाणा निर्मल राज्य बन जाएगा। महाराष्ट्र में 28000 में से 9500 ग्राम पंचायतें निर्मल

ग्राम बन चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 3–4 सालों में महाराष्ट्र भी निर्मल राज्य बन जाएगा। हमारी कोशिश है कि आगामी 10 वर्षों में शत प्रतिशत पंचायतों को निर्मल ग्राम बनाएं जो हमारा लक्ष्य भी है।

उन्होंने मंत्रालय को निर्देश दिये कि निर्मल ग्राम पुरस्कार के अंतर्गत लक्षित ग्राम पंचायतों की इस वर्ष की सूची कमेटी के माननीय सदस्यों को दें ।

श्री मानिक राव गावित जी ने कहा कि इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है और उसी के तहत इंदिरा आवासों में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पेयजल कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकारों को कितनी प्रतिशत राशि दी जाती हे उसकी जानकारी उन्हें चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एमजीएनआरईजीए के तहत भी पेयजल की व्यवस्था की जाए।

श्री संजय धोत्रे जी ने कहा कि पेयजल कार्यक्रम के तहत जारी होने वाली राशि का दुरूपयोग होता है । पेयजल संयंत्रों को लगाने का कार्य शुरू होने के बाद उसे बाद में अधूरा छोड़ दिया जाता है जिससे पैसों का दुरूपयोग होता है और कई बार तो पेयजल संयंत्र लगाने के रूपयों को अन्यत्र उपयोग में ले लिया जाता है और उसकी सही जॉच नहीं होती है जिससे पैसों का दुरूपयोग होता है क्योंकि सतर्कता एवम् निगरानी कमेटी का मेम्बर सेकेट्री सीईओ होता है और उसका कार्यान्वयन भी वहीं करता है इसलिए कार्यों की विजिलेंस मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाती और पैसों का दुरूपयोग होता है। इसलिए विजिलेंस समिति की मेम्बर सैकेट्री जिला कलेक्टर. को दी जाए तभी इसकी सही मॉनिटरिंग हो सकेगी।

सुश्री अन्नू टंडन जी ने जानना चाहा कि अपने क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने में वे कैसे योगदान कर सकती हैं। उन्होने जानकारी चाही की कितना पैसा उन्नाव जिले के लिए पेयजल और सेनिटेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया तथा मंत्रालय को प्राप्त कार्य योजना में से कितना पैसा जिले के लिए जारी किया गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह जी ने कहा की केंद्र द्वारा जो पैसा राज्यों को दिया जाता है उसमें माननीय सांसदों की अनदेखी की जाती है क्योंकि राज्य अपने एमएलए के प्रस्तावों को प्राथमिकता देता है। वाटर सप्लाई का पैसा पंचायतों को सीधा क्यों नहीं देते हैं? केंद्रीय स्तर पर कार्य कराये जाने पर पैसों की बरबादी ज्यादा होती है। अतः कार्य पंचायत स्तर पर होने चाहिए और पंचायत को एजेंसी बनाया जाना चाहिए और पंचायतों में जनरेटर लगाए जाने चाहिए ताकि पानी की सप्लाई बिना रोक की जा सके। उन्होंने कहा कि बहुत से हैंडपम्प असफल हो जाते हैं इसलिए और बहुमुखीय ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजनाएं लाई जाएं जिसके तहत बुन्देलखण्ड पैकेज भी शामिल हो ।

श्री कमल किशोर ने कहा कि सांसदों को अनुमति दी जाए कि वे अपने चुनावी क्षेत्रों में 1000 हैंडपम्पों की जगहों का चयन कर सकें ।

सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी ने कहा कि पंचायतों के पास अपनी कोई आमदनी नहीं होती जिसके कारण वे पेयजल संयंत्रों की देखभाल नहीं कर पाती हैं जिससे संयंत्र ज्यादा दिन नहीं चल पाते। जिन गांवों के लिए पेयजल का प्रावधान है, अवैध कनेक्शनों के कारण वहां पानी नहीं पहुंच पाता है। अतः पेयजल का वितरण ठीक से नहीं होता है। जनसंख्या बढ़ते रहने के कारण जो पैसा मिलता है वह पर्याप्त नहीं है। पेयजल संयंत्रों की देखभाल के लिए पैसा अलग से मिलना चाहिए। पंजाब में शौचालयों के निर्माण के लिए मिलने वाले रूपयों को खर्च करने में लचीलापन होना चाहिए क्योंकि पंजाब में मेटेरियल महंगा है जिससे शौचालयों को बनाने में दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में वर्ल्ड बैंक की सहायता से ग्रामीण जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के लिए कुछ ग्रामों ने अपना अंशदान कर दिया है परन्तु अभी तक लिये नहीं गए हैं । इसे वर्ड बैंक के साथ उठाना चाहिए ।

डॉ0 विजयलक्ष्मी साधो जी ने कहा कि निर्मल भारत अभियान के तहत जिन लोगों के लिए पैसा जा रहा है उन्हें पैसा मिल रहा है या नहीं इसकी जॉच कराई जाए क्योंकि सतर्कता एवम् निगरानी कमेटी प्रभावी नहीं है । मध्य प्रदेश में वाटर लेवल नीचे चले

जाने से हैण्डपम्प ज्यादा नहीं चल पाते हैं। इसलिए वहां के लिए पेयजल की क्या व्यवस्था है क्योंकि अभी भी अनु.जाति/अनु.जनजाति के लोगों को 2–4 किमी. दूर से पेयजल लाना पड़ता है क्योंकि मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है अतः पैसा सही जगह पर नहीं पहुंच रहा है। बोरवैलस के पुनर्भरण के लिए टपकन टैंक्स एवम् चैक डैम्स की आवश्यकता है । उन्होंने यह भी कहा कि पंचायतों को योजनाओं के आपरेशन एवम् संचालन के लिए धनराशि नहीं मिलती है क्योंकि धनराशि का उपयोग कहीं और कर दिया जाता है ।

श्री नारायण अमलाबे जी ने आगामी पंचवर्षीय योजना में पेयजल मानक को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 55 लीटर किये जाने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जल स्तर ज्यादा नीचे चले जाने के कारण हैंडपम्प ज्यादा प्रभावी नहीं रहते। अतः उसके स्थान पर नई प्रभावी योजना चालू की जाए। 60 जिलों पर जेपनीज एनसेफेलिटीस/एक्यूट एनसेफेलिटीस सिन्ड्रोम का प्रभाव देखने के बाद अन्य जिलों को भी अतिरिक्त धनराशि दी जाए । निर्मल भारत अभियान के तहत पूरे गांव में शौचालय होने पर ही उक्त गांव को निर्मल ग्राम माना जाए। निर्मल भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 1400 ग्राम पंचायतों के स्थान पर आगामी बजट में ज्यादा ग्राम पंचायतें शामिल की जाएं।

बैठक का समापन करते हुए, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मंत्रालय का ध्यान बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रित होना चाहिए । योजनाओं पर जिलावार जानकारी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए । माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का इस बैठक में भाग लेने तथा अपने मूल्यवान सुझाव देने के लिए आभार व्यक्त किया तथा उन्हें आश्वासन दिया कि मंत्रालय द्वारा उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई ।